न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

...सं. 60 / 2018
...सीसीएमएस : 2018 / 00133

1. मोहता सिंह
2. तोता सिंह } पुत्रगण स्व0 श्री कपूर सिंह जाति रायसिख निवासयान 85एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —: वादीगण

बनाम

1. सरदूल सिंह
2. जीवन सिंह उम्र } पुत्रगण स्व0 श्री हुक्म सिंह जाति रायसिख निवासीयान 85 एल0 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—:प्रतिवादीगण

4. तारो बाई पुत्री स्व0 श्री हुक्म सिंह
5. प्यारोबाई पुत्री स्व0 श्री हुक्मसिंह } जाति रायसिख निवासीयान 85 एल एन पी
6. जमनाबाई पत्नी स्व. श्री बूड़सिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह
7. सुखविन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री बूड़सिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह
8. सुखविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री बूड़सिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह
9. सुनीता पुत्री स्व0 श्री बूड़सिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह } जाति रायसिख निवासी 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
10. सुमित्रा
11. सुखदेव सिह } संतान स्व0 श्री बूडसिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह जाति रायसिख निवासीयान 85 एल. एन. पी. तहसील रायसिहनगर—नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता—जमनाबाई पत्नी स्व0 श्री बूड़सिह पुत्र स्व0 हुक्मसिह जाति रायसिख निवासी 85 एल. एन. पी. तहसील रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर।
12. प्रीतो बाई पत्नी श्री कपूरसिंह पुत्र स्व0 श्री हुक्मसिंह निवासी 85 एल. एन. पी. तहसील रायसिहनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)।
13. सोमासिंह पुत्र श्री जीवनसिंह जाति रायसिख साकिन 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:तरतीबी प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—92ए—88—53,209 आर.टी.एक्ट

तारीख रजू 30.03.2016

उपस्थित अधिवक्तागण

1. **श्री गुरप्रताप सिंह अधि. वादीगण।**
2. **श्री मोहनलाल बाना अधि. प्रति. 2 व 13।**
3. **श्री प्यारेलाल अधि. प्रति. 1।**
4. **एकपक्षीय कार्यवाही प्रति. सं. 4 ता 12।**

दिनांक : 23.09.2025

—: निर्णय :—

1. संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबन्दी सं0 2070—2073 वाके चक 85 एल0 एन0 पी0 तहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 123 में पं0नं0 115 / 303 मु0न0 42 की कुल खाता योग 6.200 है. नहरी मय खाला खातेदारी में से किला नंबर 1 व 2 प्रत्येक 0.228 है नहरी मय खाला, 9 ता 12 प्रत्येक .253है 19 ता 23 प्रत्येक 0.253 है की कुल 2.733 है नहरी मय खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के स्वर्गीय दादा हुक्मसिंह पुत्र श्री मंगासिह जाति रायसिख के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण के दादा हुक्मसिंह [illegible] है जिसके जायज वारिसान, उतराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि उ[illegible] तरतीबी प्रतिवादीण सं. 6 ता 11 के पति / पिता मृतक [illegible] तरतीबी प्रतिवादी सं. 12 के पति मृतक कपूरसिह, प्रति[illegible]सिंह व प्र[illegible] जीवनसिंह व दो पुत्रियां तरतीबी प्रतिवादीगण सं 4 व 5 [illegible] की उक्त भूमि में उनके छः वारिसान को ब0[illegible]—1 / 6 भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

के रकबा पर विरास्तन अधिकार प्राप्त हुए। वादीगण के पिता का देहान्त कई साल पूर्व होने से हुक्मसिह के उक्त रकबा वादीगण के लिये पैतृक सम्पति (जददी जायदाद) होने से में उन्हें 1/6 भाग 0.455 है। भूमि पर ब0हि0ब0 हक–हकूक व खातेदारी अधिकार हासिल होने से वादीगण उस पर अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित करवा पाने का वा खाता विभाजन करवाकर तदनुसार अपना खाता अलग करवा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा पाने के विधिक अधिकारी होने से वाद लाने के विधिक अधिकारी है वादीगण अपने भाग के रकबा पर काबिज काश्त लंबे अरसा से काबिज काश्त चले आ रहे है मगर पक्षकारन का संयुक्त रूप से रकबा को काश्त करना अब संभव नही रहा है उनके मध्य हमेशा लगान आदि की अदायगी व कब्जा काश्त को लेकर झगडे का अन्देशा रहता है। इसलिये खाता विभाजन करवाना आवश्यक होने से प्रत्येक हिस्सेदार को अच्छी से अच्छी, खराब से खराब, रास्ता, खाला वा एकजोइ काश्त आदि को मध्यनजर रखते हुये विधिक बंटवारा कर खाता विभाजन किया जाना आवश्यक हो चुका है। इसलिये वादीगण विभाजन वा विधिक बंटवारा की डिक्री भी पाने के हकदार है। वादीगण प्रतिवादीगण से अनुरोध करते आ रहे है कि वे पैतृक विवादित रकबा में वादीगण के निहित हक–हकूक व अधिकारों को स्वीकारते हुये खाता विभाजन करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो वे प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनाक 29.4.2018 को बमुकाम 85 एल. एन. पी. तहसील रायसिहनगर में प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार होकर धमकी दी कि वे हुक्मसिह की ओर पिछली तारीख में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसका दुरूपयोग करते हुये वादीगण व अन्य वारिसान को उनके हक से वंचित कर वादीगण व अन्य वारिसान को विवादित रकबा से जबरन–बलपूर्वक –विधि विरूध तरीके से बेदखल कर व करवा कब्जा अन्य हाथों में सुपुर्द कर देगें, यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष व्यादेश प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 3 भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद माननीय न्यायलय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है और उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जावे– वाके चक 85 एल0एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर के खाता संख्या 123 में पं0न0 115/303 मु0नं0 42 की कुल खाता योग 6.200 है. नहरी मय खाला खातेदारी में से कि किला नंबर 1 व 2 प्रत्येक 0.228 है नहरी मय खाला, 9 ता 12 प्रत्येक .253 है., 19 ता 23 प्रत्येक 0.253 है. की कुल 2.733 है. नहरी मय खाला खातेदारी को वादीगण के लिए पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होना घोषित कर वादीगण का 1/6 भाग यानि 0.455 है. ब0हि0ब0 पर हक हकूक वा खातेदारी अधिकार घोषित कर घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण पारित की जावें। घोषणात्मक डिक्री उपरांत पक्षकारन के मध्य उनके भाग अनुसार विवादित भूमि का विभाजन एकजोई काश्त, सिंचाई सुविधा, खाला, रास्ता, भूमि की किस्म–कीमत आदि को मध्यनजर रखते हुए विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावें। स्थाई व्यादेश बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य का पारित फरमाया जावे कि वे विवादित रकबा पर वादीगण वा अन्य वारिसन के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जा काश्त, सिंचाई व्यवस्था वा उपयोग–उपभोग में स्वंय या अपने हितबद्व व्यक्तियों के माध्यम से किसी प्रकार की बेजा मदाखालत करने से वा जबरन बलपूर्वक विधिविरूध तरीके से बेदखल करने से एवं विधिक खाता विभाजन से पूर्व विवादित रकबा या उसका कोई अंश किसी अन्य को स्वंय या अपने हितबद्व व्यक्ति के [illegible] रहन, बेय या अन्य तरीके से अन्तरित करने से बाज व ममनू रहें तथा [illegible] एवं [illegible]र्ड की स्थिति को यथावत बनायें रखें। अन्य अनुतोष जो माननीय [illegible] को दिलाना मुनासिब समझे वे भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाये [illegible], खर्चा मुकदमा भी दिलाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 13 की तरफ से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रति. सं. 1 की तरफ से श्री प्यारेलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 की रजि. सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति. संख्या 1 की तरफ से जवाब दावा पेश नहीं होने पर जवाब दावा बन्द किया गया। प्रति. सं. 2 व 13 की तरफ से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता जवाब दावा व काऊटर क्लेम पेश कर निवेदन किया वाद–पत्र में वर्णित कृषि भूमि चक 85 एल. एन. पी. के पत्थर नम्बर 115/303 के मुरब्बा नं0 42 में 6–200 है0 भूमि हुक्मसिंह के नाम से दर्ज है, इस भूमि में से हुक्मसिंह ने दिनाक 02.05.2014 को 7 बीघा भूमि जरिये दान पत्र सोमा सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह जाति रायसिख निवासी 85 एल एन पी व इसी रोज 7 बीघा सरदूल सिंह को 7 बीघा प्रितो बाई वादीगण की माता की जरिये दान–पत्र उप पंजीयक मुकलावा से पंजीकृत करवा दिया और उसी रोज उक्त भूमि को दानपत्र के अनसार कब्जा दे दिया जो निरंतर आज तक हमारे पास दानपत्र अनुसार चला आ रहा है। शेष भूमि 0–987 है. भूमि की वसीयत प्रतिवादी न0 2 जीवन सिंह के पक्ष में उपपंजीयक मुकलावा से पंजीकृत कर पंजीयन करवा दी हुक्मसिंह ने विवादित भूमि अपने जीवनकाल में ही जरिये दान पत्र व वसीयत कर दी थी। अब हुक्मसिंह के नाम कोई कृषि भूमि नहीं रही है। इसलिए वादी किसी प्रकार से किसी भूमि का विरास्तन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहे है। विवादित भूमि हुक्मसिंह की स्वयं अर्जित भूमि थी जो जिसने अपने जीवनकाल में ही अपनी व सारे परिवार की सहमति से एक ही दिन में दानपत्र पंजीकृत करवा दिये व वसीयत करवा दी है। अब कोई शेष भूमि नहीं है। वादी के हिस्सा की भूमि वादी की माता प्रितोबाई की जरिये दान पत्र मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 4–5–6–25–7–15–16 में कुल 1–721 है मय खाल भूमि दे दी है। अब लालच वश झुठे तथ्यों पर दावा पेश किया है उक्त भूमि का राजस्व कागजात में अमल दरामद भी हो चुका है। विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है। हुक्मसिहं की स्वयं अर्जित भूमि है। बाकी तथ्य दावा को बल देने के लिए मुददे लिखे गये है इसी के साथ काउन्टर क्लेम पेश कर अंकित किया है कि हुक्मसिंह के नाम से चक 85 एलएन पी के मुरब्बा नं0 42 पत्थर नं0 115/303 के 6–200 है. भूमि स्वयं अर्जित यानि आवंटन हुई थी। जिसकी खातेदारी सनद जारी होने के उपरांत उसने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी नं0 2 की चक 85 एल. एन. पी. के मुरब्बा नं0 42 के किला नं0 2 के 0–228 है मय खाला 0–025 है किला नं0 9 सालम, 12 सालम, 23 सालम कुल 0–987 है मय खाला दिनांक 16.06.2014 को जरिये वसीयत उप पंजीयक मुकलावा के कार्यालय में पंजीयन करवा कर दे दी। हुक्मसिंह का देहान्त हो चुका है। इसलिए हुक्मसिंह के देहान्त उपरान्त उक्त भूमि का जीवन सिंह खातेदार बन गया है। इसी अनुसार राजस्व कागजात में अमल दरामद करने हेतु श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को लिखा जावें। प्रतिवादी नम्बर 13 को चक 85 एल एन पी के मुरब्बा नंबर 42 के किला नंबर 1 सालम मय खाला, 10 सालम, 11 सालम, 19 सालम, 20 सालम, 21 सालम, 22 सालम, कुल 1–746 है. मय खाला जरिये दानपत्र दिनांक 02.05.2014 को उप पंजीयक मुकलावा में पंजीकृत करवा दिया और इसी अनुसार उसी रोज कब्जा दे दिया जो लगातार चला आ रहा है। इस भूमि का प्रतिवादी नं0 13 को खातेदार घोषित कर राजस्व कागजात में अमल दरामद करने का आदेश किया जावे। अतिरिक्त कथन में अंकित है कि हुक्मसिहं ने अपनी इच्छा व परिवार की इच्छा से अपनी भूमि का विभाजन कर जरिये दान–पत्र व वसीयत उक्त भूमि दे दी जब तक वसीयत व दानपत्र कायम है तब तक ऐसा दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है कि प्रतिवादी नं. 1 सरदूलसिंह व वादी की माता प्रितो बाई ... पक्ष में दानपत्र में वर्णित भूमि का राजस्व कागजात में अमल दरामद ... नुकसान पहुचानें के लिए यह दावा पेश कर दिया है जब कि हुक्मसिंह के नाम कोई ... नहीं रही है। इससे पूर्व एक दावा प्रितो बाई बनाम हुक्मसिंह ने दिया था जो ... खारिज हो चुका है अतः जबावदावा, काऊटर क्लेम व अतिरिक्त कथन पेश करके ... वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वादपत्र खारिज फरमाया जावे व हम उत्तरदाता का काउंटर क्लेम जवाबदावा की मद संख्या 8 व 9 के अनुसार डिक्री किया जाकर राजस्व कागजात में अमल दरामद करने का आदेश श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को लिखा जावे। सरकार की तरफ से राजपेरोकार उप तहसीलदार समेजा कोठी ने जवाब सरकार पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवादक विरचित किये:–

(i) आया कि वादीगण विवादित भूमि चक 85 एलएनपी के प.नं. 115/303 मु.नं. 42 की 6.200 है, मे से कि.नं. 1–2–9 ता 12, 19 ता 23 की कुल 2.733 है भूमि गया खाला में पैतृक सम्पति होने के कारण अपना 1/6 भाग (0.455) घोषित करवा कर किलेवाईज विभाजन करवाने के अधिकारी है ? –: जिम्मेवादीगण

(ii) आया विवादित भूमि हुक्म सिंह की कुल 0.987 है, भूमि स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण हुक्म सिंह के द्वारा कि.नं. 2–9–12–23 कुल 0.987 है, भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी सं. 2 के हक में दिनांक 16.06.2014 को करवाई थी उसी के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ? –: जिम्मप्रतिवादी सं. 2

(iii) आया कि विवादित भूमि में से आवंटी हुक्मसिंह के द्वारा दिनांक 02.05.2014 को रजिस्टर्ड दानपत्र प्रतिवादी सं. 13 के हक में कि.नं. 1–10–11–19–20–21–22 कुल 1.746 है, का दान पत्र करवा दिया ओर उसी प्रतिवादी सं. 13 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है ? –:जिम्मेप्रतिवादी सं. 13

(iv) अन्य अनुतोष:–

वादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में मोहतासिंह पुत्र श्री कपूरसिंह व सोमासिंह पुत्र श्री जीवनसिंह जाति रायसिख साकिन 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर ने दिनांक 14.05.2025 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। जिसमें विवादित भूमि चक 85 एल.एन.पी. जिसकी जमाबंदी प्रदर्श–1 हैं। मेरे दादा को भूमि आवंटन हुई थी मेरे दादा जी ने मेरे माता के हक में दिनांक 08.05.2014 को 1.721 है, नहरी भूमि का रजिस्ट्रर्ड दान पत्र करवाया है मेरे चाचा सर्दुल सिंह के हक में 1.721 है, नहरी भूमि का रजि. दान पत्र करवाया हो और उसका उसी अनुसार राजस्व कागजात में इंतकाल दर्ज हुआ हो। दिनांक 02.05.2014 को मेरे दादा जी ने मेरे चाचा जीवणसिंह के लड़के सोम सिंह के हक में 1.721 है, नहरी भूमि जरिये रजि. दान–पत्र करवा दी हौं। मेरे दादा ने तीन दान पत्र मेरी माता, मेरे चाचा व सोमसिंह के हक में कुल भूमि दान करने के बाद शेष बची भूमि 0.962 है, नहरी मेरे चाचा जीवणसिंह को दिनांक 16.06.2014 को गवाह कश्मीरसिंह व संतोख सिंह के रूबरू उप पंजीयन मुकलावा के कार्यालय में वसीयत पंजीबद्व करवाई है यह कहना भी गलत है कि मेरे दादा ने हमारे हिस्से की भूमि का दान–पत्र मेरी माता के नाम करवा दिया हो। यह कहना गलत है कि मैं लालचवंश झूठा दावा दुबारा भूमि प्राप्त करने के लिए और सोमसिंह के हक में जो दान पत्र व जीवणसिंह के हक में वसीयत का इंतकाल न हो इसलिए मैने दावे गलत पेश किए हो। मेरी माता के हक में दान पत्र किया होगा। व मेरी माता का हमारे साथ ना रहना के तथ्य जानबूझकर गलत ब्यान कर रहा हूँ।

प्रतिवादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में जीवणसिंह पुत्र हुक्मसिंह जाति रायसिख साकिन 85 एल.एन.पी. तहसील रायसिंहनगर ने दिनांक 23.06.2025 को किया। रजि. वसीयत प्रदर्श–**A** है जिसकी पत्रावली पर नकल **A** –(1) (**A**) है जिस पर एक्स स्थान पर मेरे पिता की फोटो व वाई स्थान मेरी फोटों लगी है गवाह कश्मीरसिंह व संतोखसिंह ने अपने हस्ताक्षर किए थे मेरे पिता ने मेरे बेटे सोमसिंह के हक में रजि. दान पत्र करवाया था जो प्रदर्श–**A**–(2) है जिसकी पत्रावली पर नकल **A**–(2)(**A**) है जिस पर मैने एक्स स्थान पर गवाही का अंगूठा लगाया है वाई स्थान पर मेरा फोटों मय अंगूठा है मेरे पिता की मृत्यु हुए को लगभग साल हो गया है। हुक्मसिंह के 6 वारिसान थे यह कहना भी सही है कि प्रतिवादी को 1/6 हिस्सा देता है अज खुद कहा कि मेरे बेटे के नाम 7 बीघा का दान–पत्र मेरे नाम 4 बीघा की वसीयत है यह कहना सही हैं मुझ जीवणसिंह को छोड़कर मेरे पिता की किसी को कोई भूमि नहीं दी। अज खुद कहा कि उनकों उनका हिस्सा दे दिया है मेरे पिता मेरे साथ रहते थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

को चक 85 एल.एन.पी मु.नं. 42 के 6.200 है. भूमि में से 2.733 है. भूमि वादीगण के दादा के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने दादा हुकमसिंह की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा यानि .455 है. बनता है उसके खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा/ दस्तावेज अनुसार हुकमसिंह वल्द गंगासिंह को चक 85 एल.एन. पी. के मु.नं. 42 में 6.200 है. भूमि पुख्ता आवटित हुई थी जिसकी सनद 446 दिनांक 16.12.1973 को जारी हुई। यह भूमि हुकमसिंह की स्वअर्जित सम्पति है। इस सम्पति में से हुकमसिंह द्वारा कि.नं. 1/.228, 10/.253, 11/.253, 19/.253, 20/.253, 21/.253, 22/.253, यानि 1.746 है. नहरी मय खाला अपने पौत्र सोमासिंह पुत्र जीवनसिंह को जरिये दानपत्र दिनांक 02.05.2014 को दे दी। इसके अलावा दिनांक 08.05.2014 को अपने दूसरे पुत्र सरदूलसिंह को 1.746 है. भूमि तथा वादीगण की माता प्रीतोबाई पत्नी स्व. कपूरसिंह को 1.721 है. भूमि जरिये दान पत्र दी गई है। इसका इन्तकाल सं. 505 दिनांक 05.06.2017 है जिसके माध्यम से भूमि इनके नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज हो चुकी है। पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त सम्पति हुकमसिंह की स्वअर्जित सम्पति थी जिसमें से जरिये दानपत्र वादीगण की माता को 1.721 है, प्रतिवादी सं. 1 सरदूलसिंह को 1.746 है, सोमासिंह पुत्र जीवनसिंह को 1.746 है. जरिये दान पत्र हस्तान्तरित की है। वादीगण की माता प्रीतोबाई पत्नी कपूरसिंह को 1.721 है भूमि जरिये दानपत्र प्राप्त हो चुकी है जिसका नामान्तरण सं. 505 दिनांक 05.06.2017 स्वीकृत हो चुका है। इस तनकी को सिद्ध करने में वादीगण असफल रहे है अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (II) आया विवादित भूमि हुक्म सिंह की कुल 0.987 है. भूमि स्वयं अर्जित सम्पति होने के कारण हुक्म सिंह के द्वारा कि.नं. 2–9–12–23 कुल 0.987 है. भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी सं. 2 के हक में दिनांक 16.06.2014 को करवाई थी उसी के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 खातेदार घोषित होने का अधिकारी है ?

—: जिम्मप्रतिवादी सं. 2

उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 2 पर था। प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 16.06.2014 पेश किया गया है। पंजीबद्ध वसीयतनामा के गवाह व पहचानकर्ता संतोखसिंह पुत्र श्री बुल्लासिंह जाति रायसिख निवासी 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर द्वारा गवाह के रूप में यह स्वीकृत किया है कि हुकमसिंह द्वारा वसीयत मेरे समक्ष उप पंजीयक कार्यालय मुकलावा में पंजीबद्ध करवायी थी। उक्त वसीयत पर मेरे हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी है। चूंकि वादग्रस्त भूमि हुकुमसिंह की स्व अर्जित सम्पति थी उसे वसीयत निस्पादित करने का पूरा अधिकार था। उसने स्वेच्छा से अपने पुत्र के पक्ष में वसीयत निस्पादित की है जो उप पंजीयक मुकलावा द्वारा पंजीबंद्ध है। इसके संबंध में वादी अधिवक्ता का कथन था कि यह वसीयत फर्जी व कूटरचित है। लेकिन वादीगण द्वारा दस्तावेज कूटरचित होने के संबंध में सक्षम न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया है।

अतः उक्त वसीयत हुकमसिंह द्वारा अपने पुत्र जीवनसिंह के पक्ष में निस्पादित करने, भूमि हुकमसिंह की स्वअर्जित सम्पति होने व वसीयत उप पंजीयक मुकलावा के यहां पंजीबद्ध होने व गवाह संतोखसिंह के ब्यान की वसीयत उसके समक्ष निरपादित की गई थी। विवादित वसीयत कूट रचित व फर्जी होने का [illegible] तर्क निराधार है। इस तनकी को सिद्ध करने में प्रतिवादी सं. 2 [illegible] है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी सं. 2 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

(III) आया कि विवादित भूमि में से [illegible] दिनांक 02.05.2014 को रजिस्टर्ड दानपत्र प्रतिवादी सं. 13 के हक में कि.नं. [illegible]–21–22 कुल 1.746 है. का दान पत्र करवा दिया और उसी प्रतिवादी सं. 13 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है ?

—:जिम्मेप्रतिवादी सं. 13

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उक्त उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 13 पर था। प्रतिवादी सं. 13 द्वारा रजिस्ट्रड दान पत्र दिनांक 02.05.2014 पेश किया गया जो हुकुमसिंह द्वारा अपने पौते सोमासिंह के पक्ष में निस्पादित किया गया था। प्रतिवादी सं. 13 का कहना था कि हुक्मसिंह के पास मु.नं. 42 की 6.200 है. भूमि थी जो पुख्ता आवंटित हुई थी। स्वअर्जित सम्पति होने के कारण उसे दानपत्र निस्पादित करने का अधिकार था। हुकमसिंह द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण की माता प्रीतोबाई के पक्ष में भी दानपत्र निस्पादित किये थे जिनका उल्लेख तनकी सं. 1 व 2 में विस्तार से किया जा चुका है। रजिस्ट्रड दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 13 खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। अधिवक्ता वादीगण का कथन कि उक्त दस्तावेज फर्जी व कूटरचित है जिसका विधि विरूद्व तरीके से वादीगण को बेदखल करने की फिराक में है। पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हुकुमसिंह द्वारा दिनांक 02.05.2014 को सोमासिंह पुत्र जीवनसिंह प्रति सं. 13 के पक्ष में दानपत्र निस्पादित किया था जिसे दान गृहिता द्वारा स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमि हुकुमसिंह की स्वअर्जित सम्पति होने के कारण दानपत्र निस्पादित करने का उन्हे पूर्ण अधिकार था। अतः इस तनकी को सिद्व करने में प्रतिवादी सं. 13 सफल रहे है। यह तनकी बहक प्रतिवादी सं. 13 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (Iv) अनुतोष।

तनकी संख्या 1 ता 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है अतः प्रतिवादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है।

—: आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88—92ए—209 आर.टी. एक्ट भली—भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है इसके साथ संलग्न प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 व 13 की हद तक काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 85 एल.एन.पी. के मु.नं. 42 में 6.200 है. खातेदारी भूमि में से कि.नं. 1/.228, 10/.253, 11/.253, 19/.253, 20/.253, 21/.253, 22/.253, यानि 1.746 है. भूमि की रजिस्ट्रर्ड दान पत्र दिनांक 02.05.2014 के अनुसार व इसी मुरब्बा के कि.नं. 2—9—12—23 कुल 0.987 है. भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:39 IST
Reason: SelfAttested